

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारस्ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

नानची देवी वगैरे बनाम सुरजमल वगैरे

मुकदमा नम्बर-10/2022

किस्म मुकदमा- इजराय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
28.03.2022	<p>वकील डिकीदार श्री सरदार सिंह कुडी एडो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 28.04.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फारस्ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p>नामान्तरण सं० 2510 के द्वारा दिनांक 20/4/22</p>
12-11-22	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गैरसु भान चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। वकील डिकीदार उपर्युक्त प्रकरण में राज कैरोडार नामक तहसीलदार ने अकात इराफा है कि न्यायालय द्वारा पारित डिकी व निर्णय की पालना जारी नामान्तरण संख्या 2510 दिनांक 20-07-2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में डी जा चुकी है। प्रकरण में अगे डी ई अमवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण डी 2ली स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से फैसला किया जाता है। पत्रावली फैसला सुनार डेम्प वाद तहसील दाखिल दफ्तर है।</p>	<p>राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया।</p> <p style="text-align: right;">Jyoti</p>



(दिलीप सिंह)  
दिलीप सिंह  
सहायक कलक्टर (फारस्ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)